उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail**: contactuprera@up-rera.in,
Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL,
Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

<u>प्रेस नोट</u>

लखनऊ: 19.07.2024

प्रोमोटर्स ब्रोशर और विज्ञापन में प्रोजेक्ट क्यू.आर. कोड प्रकाशित करें- उ.प्र. रेरा

- उ.प्र रेरा ने पंजीकृत प्रत्येक परियोजना, जिसका पंजीकरण वैध है, को एक विशिष्ट क्यू.आर. कोड आवंटित किया है तथा इसे अपने पोर्टल पर परियोजना के वेब-पेज पर भी प्रदर्शित किया है।
- प्रोमोटर्स को निर्देश दिये गए हैं कि पोर्टल पर ऐसी सभी 948 परियोजनाओं तथा भविष्य में पंजीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के विज्ञापनों तथा प्रचार-प्रसार में उनके क्यू.आर. कोड को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें।
- प्रोमोटर्स को परियोजना के विज्ञापनों मे इस विशिष्ट क्यू.आर. कोड के अलावा परियोजना की रेरा पंजीकरण सँख्या और उ.प्र. रेरा की वेब लिंक भी देना होगा।
- कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से क्यू.आर. कोड स्कैन करके आसानी से परियोजना की सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और विज्ञापनों में दिए गए विवरणों का रेरा पोर्टल के माध्यम से सत्यापन कर सकता है।
- प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए उ.प्र. रेरा की एक और महत्वपूर्ण पहल है।

लखनऊ / गौतमबुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा द्वारा रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के कारोबार में जवाबदेही तथा पारदर्शिता लाने एवं उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेरा द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं को एक विशिष्ट क्यू.आर. कोड प्रदान किया गया है। प्रत्येक नयी परियोजना के अलावा उन परियोजनाओं को भी यह क्यू.आर. कोड प्रदान किया है जिनका पंजीकरण वैध है। किसी भी परियोजना में निवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन कर सकता है, उ.प्र. रेरा के पोर्टल से परियोजना तथा प्रोमोटर से संबन्धित सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकता है और विज्ञापनों में प्रकाशित विवरणों को परख सकता है।

इस निर्णय का लाभ उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित करने हेतु उ.प्र. रेरा ने प्रोमोटरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे आवंटियों के साथ साझा किए जाने वाले सभी प्रकार के अभिलेखों, जैसे कि बुकिंग-फॉर्म, आवंटन-पत्र, बी.बी.ए. और परियोजना के प्रचार और विपणन के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों, जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ऑडियो-वीडियो और यूट्यूब, ई-मेलर्स, एसएमएस, ब्रोशर, पैम्फलेट, आउटडोर होर्डिंग आदि के माध्यम से विज्ञापन तथा रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा बनाए गए पोर्टल, सोशल मीडिया पेज और डिजिटल चैनलों में यह क्यू.आर. कोड प्रकाशित कराएं।

कोई भी आवंटी मोबाइल फोन की मदद से क्यू.आर. कोड को स्कैन करके रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी जैसे कि भू-अभिलेख, स्वीकृत ले-आउट और मानचित्र, परियोजना की विशिष्टताएं और सुविधाएं, परियोजना के प्रारम्भ और पूर्ण होने की तिथियां, बैंक खाते, प्रोमोटर, सह-प्रोमोटर, पंजीकृत एजेंट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यू.पी.आर.), ओ.सी. या सी.सी., अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य अभिलेखों के विवरण आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है। अब वह प्रोमोटर या रियल एस्टेट एजेंट या संबंधित विकास प्राधिकरण के कार्यालय में गए बिना किसी भी परियोजना आवासीय या वाणिज्यिक इकाई खरीदने का विवेकपूर्ण निर्णय कर सकता है।

यह देखा गया है कि प्रोमोटर अपनी परियोजनाओं का विज्ञापन और प्रचार-प्रसार बड़े पैमाने पर सभी तरह के प्रचार माध्यमों से करते हैं, लेकिन घर खरीदारों के पास ऐसे विज्ञापनों में बताई गई सुविधाओं, विशिष्टियों आदि के सत्यापन का कोई आसान माध्यम नहीं है और उन्हें केवल प्रोमोटर या रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा प्रसारित जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आगे वही विज्ञापन उ.प्र. रेरा द्वारा परियोजना को दिए गए यूनिक क्यू.आर. कोड की मदद से घर खरीदारों के लिए प्रोमोटर द्वारा विज्ञापन में दी गई जानकारी के सत्यापन का स्रोत हो जाएगा।

इस अवसर पर, उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष, संजय भूसरेड्डी द्वारा कहा गया कि रेरा रियल एस्टेट सेक्टर के उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण तथा प्रोमोटरों के स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। परियोजना का प्रचार-प्रसार और विज्ञापन रियल एस्टेट संपत्तियों की बिक्री को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा माध्यम है। रेरा का प्रयास है कि कोई भी भोला-भाला खरीदार विज्ञापनों से धोखे में न आ जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को परियोजना और प्रोमोटर के बारे में पूरी और सही जानकारी आसानी से मिल सके, हमने प्रोजेक्ट को एक विशिष्ट क्यू.आर. कोड प्रदान किया है तथा प्रोमोटर्स के लिए आवंटियों के साथ साझा किए जाने वाले सभी अभिलेखों, सभी तरह के विज्ञापनों तथा प्रसार-प्रचार में यह क्यू.आर. कोड देना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ताओं को अब परियोजना के विवरण की सच्चाई को जाँचने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वह परियोजना का क्यू.आर. कोड स्कैन करेगा और सभी जानकारियाँ उसके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर होंगी।